बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 222

निजता की रक्षा

इजरायल की कंपनी द्वारा कम से कम 121 भारतीयों के मोबाइल फोन पर अवैध तरीके से निगरानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की घटना ने देश के डेटा संरक्षण और निजता संबंधी कानूनों को लेकर लंबे समय से चली आ रही दिक्कतों को नए सिरे से सामने रख दिया है। फेसबुक के अनुषंगी इंस्टैंट मेसेंजर व्हाट्सऐप ने इजरायली कंपनी एनएसओ पर अमेरिका की एक अदालत में मुकदमा किया है। उसका कहना है कि कंपनी ने गुप्त रूप से पेगासस नामक निगरानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके संक्रमित मोबाइल फोनों में से लगभग हर प्रकार की जानकारी को दूसरी जगहों पर भेजा। इस सॉफ्टवेयर को व्हाट्सऐप के माध्यम से केवल एक मिस्ड कॉल देकर किसी फोन पर इंस्टॉल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि दुनिया भर में करीब 1,500 लोग पेगासस से संक्रमित हुए हैं। व्हाट्सऐप का दावा है कि यह संक्रमण अप्रैल-मई 2019 में हुआ और तब से अब तक उसने इस जोखिम को समाप्त कर दिया है।

उधर एनएसओ का दावा है कि वह इस सॉफ्टवेयर को केवल सरकारी एजेंसियों को बेचती है। इसके बाद मामला और अधिक जटिल हो गया है। एनएसओ के उपभोक्ताओं की सूची देखकर भी यही लगता है कि उनमें से अधिकांश सरकारें हैं। पेगासस सॉफ्टवेयर और उससे जुड़ी निगरानी सेवाएं बहुत महंगी हैं और उन्हें अन्य देशों के साथ मैक्सिको और मिस्र की सरकार को बेचा गया है। जिन भारतीयों को इसका निशाना बनाया गया है उनमें से कई जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता, अधिवक्ता, पत्रकार और राजनेता हैं। चूंकि यही वह अवधि थी जब भारत में आम चुनाव हो रहे थे और जिनको निशाना बनाया गया उनमें से कई विपक्षी विचारों के या सरकार के खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं इसलिए इस विषय में अटकलों का दौर शुरू हो गया है।

भारत सरकार का दावा है कि व्हाट्सऐप ने इस संवेदनशीलता को लेकर खुलकर बात नहीं की और गत मई में देश की कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया टीम तथा अन्य सरकारी एजेंसियों को इस सुरक्षा मसले की जानकारी देते हुए उसने तकनीकी शब्दावली इस्तेमाल की। अब सरकार ने इसकी जांच के लिए दो संसदीय समितियां गठित की हैं। अमेरिका में सुनवाई के दौरान इस विषय में और मालूमात सामने आएंगी। इन भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने और चोरी छिपे पेगासस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले ने यकीनन भारतीय कानून तोड़ा है। अब तक ऐसी किसी सरकारी एजेंसी का पता नहीं लगा है जिसके बारे में कहा जा सके कि यह उसने किया। यदि यह काम सरकारी एजेंसी ने नहीं किया तो कानून टूटा है। बल्कि सरकारी एजेंसियों के बारे में भी अपेक्षा तो यही रहती है कि वे उच्चस्तर पर ऐसी निगरानी के लिए समुचित इजाजत लेंगी। उन्हें निजता के ऐसे उल्लंघन के पहले पूरी जानकारी देनी होती।

यह भी सही है कि सरकार ने निजता संरक्षण कानून बनाने में देरी की। अगर वह होता तो इस अपराध को बेहतर परिभाषित किया जा सकता और उचित दंड की घोषणा की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2017 में कहा था कि निजता मूल अधिकार है। इसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता वाले आयोग ने निजी डेटा संरक्षण निजता कानून का मसौदा बनाया जिसे जुलाई 2018 में जारी किया गया। इस पर अक्टूबर 2018 तक जनता की राय आमंत्रित की गई। तब से अब तक संसद ने अनेक कानून पारित किए लेकिन यह मसौदा पड़ा रहा। ऐसे कानून के अभाव में यह परिभाषित कर पाना मुश्किल है कि नागरिकों की ऐसी निगरानी कौन सी एजेंसी कब कर सकती है। यह घटना निजता को मूल अधिकार मानने वाले संविधान और संबंधित कानून को पास करने में देरी करने वाली विधायिका का विभाजन साफ नजर आता है।

बिनय सिन्हा

बीएसएनएल, एमटीएनएल सुधार की संभावना कम

सरकारी दूरसंचार कंपनियों में सुधार के लिए जो चार बिंदु वाली योजना बनाई गई है वह आवश्यक तो है लेकिन उतने भर से काम नहीं चलेगा। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं **राहुल खुल्लर**

सरकार ने संकट के दौर से गुजर रही सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए पुनः प्रवर्तन योजना की घोषणा की है। चार बिंदुओं वाली इस योजना में सॉवरिन बॉन्ड की मदद से 15,000 करोड़ रुपये की राशि जुटाना, सरकारी लागत पर 4जी स्पेक्ट्रम आवंटित कर राजस्व का नया जरिया तैयार करना, जमीन जैसे संसाधनों की बिक्री करके तकरीबन 38,000 करोड़ रुपये की नकदी जुटाना और आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से कर्मचारियों की तादाद कम करना आदि शामिल हैं। इस घोषणा का स्वागत किया जाना चाहिए, आखिरकार सरकार ने कदम उठाने का निर्णय लिया है।

पहले इतिहास की चंद बातें करते हैं। एमटीएनएल बीते एक दशक से अधिक वक्त तक गंभीर संकट से जूझ रही है। कंपनी में जरूरत से ज्यादा कर्मचारी हैं, उसके ग्राहक और राजस्व दोनों डांवाडोल हैं और निवेश के आंतरिक संसाधन नहीं बचे हैं। इसके उलट बीएसएनएल एक दशक पहले तक मुनाफे वाली और वित्तीय रूप से मजबूत कंपनी थी। दो घटनाओं ने इन कंपनियों की आर्थिक तकदीर बदल दी।

सन 2010 में हुई 3जी स्पेक्ट्रम नीलामी ने उनकी वित्तीय स्थिति को चोट पहुंचाई। बीएसएनएल और एमटीएनएल को 3जी और बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ा। एमटीएनएल पहले ही संकट से जूझ रही थी और उसे 3जी कारोबार में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। बीएसएनएल के पास तो फिर भी 3जी के साथ जूझने की संभावना थी क्योंकि उसने अधिशेष जमा कर रखा था। परंतु बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम तो दोनों पर थोपा गया। दोनों ही इसे लेना नहीं चाहती थीं।

वित्त मंत्रालय ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को बाकायदा इसका आदेश दिया। संक्षेप में कहें तो वित्त मंत्रालय ने बजट की कमी पूरी करने के लिए कंपनियों के मुद्रा भंडार पर डाका डाला। इससे भी बुरी बात यह कि बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम के रूप में एक अनुपयोगी परिसंपत्ति के रूप में उसने एक स्थायी बोझ उन पर डाल दिया। बीएसएनएल का वह पैसा इसमें लग गया जिसे वह निवेश कर सकती थी। कंपनी को उधारी लेने पर मजबूर होना पड़ा। एमटीएनएल को वह 3जी स्पेक्ट्रम लेना पड़ा जिसे वह पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकी।

दूसरी अहम घटना थी दूरसंचार क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश। कुछ ही वर्ष में दूरसंचार विभाग का भारी-भरकम तकनीक स्टाफ अनावश्यक हो गया। अब तक जो सेवाएं विभाग द्वारा मुहैया कराई जाती थीं, वे अब निजी सेवा प्रदाता प्रदान करने लगे। अचानक तमाम काबिल दूरसंचार इंजीनियरों के पास काम ही नहीं रहा। लाइनमैनों और अन्य कर्मचारियों के साथ भी यही हुआ। दूरसंचार विभाग ने जरूरत से अधिक कर्मचारियों को बीएसएनएल और एमटीएनएल में स्थानांतरित कर दिया। इससे इन दोनों कंपनियों का वेतन बिल बढ़ा। यही कारण है कि बीएसएनएल का वेतन लागत और राजस्व अनुपात 77 और एमटीएनएल का 87 है।

प्रथम दृष्टया यह योजना काफी समझदारी भरी लगती है: बेहतर राजस्व, लागत में कटौती और परिसंपत्तियों की बिक्री से संसाधन जुटाना। परंतु मामला इतना सीधा नहीं है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का तरीका पहले भी अपनाया गया था और यह नाकाम रहा था। एमटीएनएल के 16,000 कर्मचारियों में से ज्यादातर उम्रदराज और आधुनिक जरूरतों के हिसाब से अकुशल हैं। इसके बावजूद उन्होंने इसे नकार दिया। बेहतर आयु संतुलन वाले बीएसएनएल के 1,70,000 कर्मचारियों में से भी ज्यादातर कंपनी छोड़ने के इच्छुक नहीं रहे। इन दिनों रोजगार बाजार की जो हालत है उसमें दूरसंचार इंजीनियरों तथा अन्य तकनीकी कर्मचारियों के लिए संभावनाएं सीमित हैं। इसके अलावा बेरोजगारों की तुलना में रोजगारशुदा कर्मचारियों की सामाजिक स्थिति बेहतर रहती है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में काफी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में क्या पेशकश करती है। अंतिम बात, जरूरत से ज्यादा कर्मचारी तमाम आयु वर्ग में हैं। क्या यह योजना समस्या हल कर पाएगी?

वर्ष 2018-19 में दोनों कंपनियों की साझा कर, कराधान, अवमूल्यन और ऋण शोधन पूर्व आय (ईबीआईटीडीए) 15 फीसदी थी। गणित एकदम सीधी सादा है। कर्मचारियों की तादाद में 40 फीसदी की कमी (यदि 74,000 कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लें) से वेतन और राजस्व अनुपात में 31 फीसदी की कमी आएगी। अगर यह सारी कमी जोड़ी जाए तो ईबीआईटीडीए बढ़कर 16 फीसदी होगी जो अपर्याप्त है। 45,000 करोड़ रुपये के कर्ज के साथ भी न्यूनतम ईबीआईटीडीए को कम से कम 35 फीसदी लाभ दर्ज करना था। ऐसे में बदलाव मोटे तौर पर लागत में बचत और राजस्व में इजाफे से ही आ सकता है।

परिसंपत्तियों की बिक्री में समय लगता है और सार्वजनिक क्षेत्र के संदर्भ में यह आसान भी नहीं है। परिसंपत्तियों खासकर जमीन की बिक्री को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता है। सार्वजनिक उपक्रमों की निर्णय प्रक्रिया थकाऊ हो सकती है। प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियों की भारी सक्रियता वाले इस दौर में यह और बुरा हो सकता है। बीते पांच साल में विनिवेश के साथ अनुभव भी बहुत सकारात्मक नहीं रहा है। यह मानना आशावादी हो सकता है कि परिसंपत्तियों से आने वाले संसाधन आसानी से उपलब्ध होंगे।

सॉवरिन बॉन्ड के माध्यम से पूंजी डालना तात्कालिक रूप से सफल होगा लेकिन बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की तरह यह भी अपर्याप्त है। बीएसएनएल का पिछला प्रदर्शन भी कोई उत्साहित करने वाला नहीं रहा है। कंपनी के प्रबंधन को वाणिज्यिक कुशलता के लिए नहीं जाना जाता। यदि प्रबंधन व्यवहार और संगठनात्मक संस्कृति में बदलाव नहीं आता है तो हालात नहीं बदलेंगे।

मीडिया में आई खबरें बताती हैं कि 4जी सेवाएं संचालित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। यह अनुमान बहुत कम है। जियो को गुणवत्तापूर्ण 4जी सेवाएं देने में पांच वर्ष से ज्यादा समय और ढेर सारा पैसा लगा। यह सही है कि बीएसएनएल के पास बुनियादी सुविधाएं और व्यापक नेटवर्क है। यह सही है कि बीएसएनएल के पास बुनियादी ढांचा और व्यापक नेटवर्क है लेकिन यह उम्मीद करना सही नहीं है कि राजस्व की एक नई धारा इतनी जल्दी तैयार हो जाएगी, वह भी इतने कम निवेश से। भारी निवेश के लिए संसाधन इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे। अंत में दूरसंचार की गलाकाट प्रतिस्पर्धा वाली दुनिया में क्या बीएसएनएल अपने मौजूदा प्रबंधन के साथ प्रतिस्पर्धा में टिका रह पाएगा?

इस योजना में कुछ जरूरी कदम शामिल हैं लेकिन यह अपर्याप्त है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के साथ-साथ समुचित प्रोत्साहन की आवश्यकता भी होगी। उसके बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कारगर नहीं हो सकेगी। निवेश की फंडिंग के लिए यदि तेजी से संसाधन आएंगे तभी बात बनेगी वरना जब तक बीएसएनएल 4जी तक पहुंचेगा तब तक दूरसंचार क्षेत्र के अन्य कारोबारी 5जी तक पहुंच जाएंगे। बिना प्रबंधन में सुधार के इन बातों का कोई अर्थ नहीं है।

(लेखक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन हैं)

आपात स्थिति में पहुंच रही है वायु प्रदूषण की समस्या

जमीनी हकीकत

सुनीता नारायण

हमारी हर सांस विषाक्त है। हमारे बच्चों के अभी विकसित हो रहे फेफड़ों को देखते हुए हालात ऐसे ही नहीं रहने दिए जा सकते। जाहिर है हमें अब व्यापक पैमाने पर पेशकदमी करनी होगी।

दिल्ली में हम सांस भी नहीं ले सकते। शहर की हवा में प्रदूषक तत्त्वों की मात्रा हद से ज्यादा विषाक्तता तक पहुंच चुकी है और यह जन स्वास्थ्य के लिए आपात स्थिति की तरह है। आधिकारिक रूप से हवा की गुणवत्ता अत्यधिक खराब है। यह स्वस्थ लोगों के लिए भी नुकसानदेह है बच्चों, उम्रदराज लोगों और मरीजों आदि को तो भूल ही जाइए। मैं यहां यह चर्चा करना चाहती हूं कि हम बिना शोर-शराबे और राजनीति के ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हवा की गुणवत्ता नियंत्रित रखी जा सके। अक्टूबर के अंत और नवंबर के आरंभ में आखिर क्या हुआ? 27 अक्टूबर, 2019 यानी दीवाली की दोपहर तक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब थी लेकिन फिर भी वह सांस लेने लायक थी। मौसम में बदलाव आ रहा था, रातें ठंडी हो रही थीं और हवा का बहना कम हो रहा था, ऐसे में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा था। पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में फसल अवशेष जलाने का सिलसिला शुरू हो रहा था, हालांकि दिल्ली के प्रदूषण में इनकी हिस्सेदारी नाम मात्र की थी। बहरहाल यह स्पष्ट था कि हालात आगे और बिगड़ेंगे। यही कारण है कि प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों पर नजर रखना जरूरी था। हमें यह तय करना था कि पटाखे न फोड़े जाएं क्योंकि हवा पहले ही बहुत विषाक्त हो चुकी थी। ऐसा नहीं हो सका बल्कि जो हुआ, वह इस प्रकार है। 27 अक्टूबर, 2019 की शाम प्रदूषण के स्तर में नाटकीय इजाफा हुआ। मेरे सहयोगियों ने करीब 50 निगरानी केंद्रों से मिले आंकड़ों से अनुमान लगाया कि पटाखे चलाने के कारण शाम 5 बजे से रात एक बजे के बीच पीएम 2.5 में 10 गुना तक इजाफा हुआ। उनका कहना है कि इसने प्रदूषण नियंत्रण के तमाम जतन पर पानी फेर दिया। यह स्पष्ट है कि यह दीवाली साफ-स्वच्छ नहीं थी।

केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। दीवाली के बाद हवा की दिशा बदल गई और फसल अवशेष जलने के कारण ढेर सारा धुआं शहर के आसमान पर छा गया। कुल प्रदूषण में फसल अवशेष जलने से हुए प्रदूषण की हिस्सेदारी 30 फीसदी है। मानो इतना ही पर्याप्त नहीं था तो अरब सागर की चक्रवाती गतिविधि और मॉनसून की वापसी ने हवा की गति समाप्त कर दी। वह पूरा प्रदूषण अब हवा में ठहर गया है और लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। हम मौसम का तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम प्रदूषण के जरियों को तो कम कर सकते हैं। स्वच्छ हवा हमारा अधिकार है। हम सांस ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें वायु प्रदूषण के विज्ञान को भली-भांति समझना होगा।

एक गलत धारणा यह है कि प्रदूषण केवल ठंड के दिनों में बढ़ता है क्योंकि उस समय फसल अवशेष जलाया जाता है। यह तथ्य है कि किसान 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच फसल अवशेष जलाते हैं। हमें यह भी बता है कि इससे उत्पन्न धुआं इस क्षेत्र के प्रदूषण में बढ़ोतरी योगदान करता है। परंतु यह ध्यान देने वाली बात है कि यह प्रदूषण की प्रमुख वजह नहीं है। प्रदूषण के वास्तविक कारक साल भर हवा में एकत्रित होते रहते हैं। आम दिनों में हमें स्वच्छता नजर आती है क्योंकि हवा प्रदूषकों को समान रूप से वितरित करती है और वातावरण में हवा बहती रहती है। यानी प्रदूषण का स्रोत कभी कम नहीं होता, बस वह नजर नहीं आता। ठंड के दिनों में यह माहौल बदल जाता है क्योंकि हवा का बहना धीमा हो जाता है। यही कारण है कि दिल्ली में ठंड में प्रदूषण की कई घटनाएं नजर आती हैं। दिसंबर और जनवरी में स्मॉग की समस्या ज्यादा आती है जबकि उस वक्त फसल नहीं जलाई जाती। इसकी वजह स्थानीय प्रदूषण और खराब मौसम हैं। यह अहम है कि हम इसे पहचानें क्योंकि इसके बिना पूरा ध्यान बाहरी कारकों पर ही केंद्रित रहेगा। दूसरे राज्यों को दोष देना राजनीतिक दृष्टि से बेहतर हो सकता है लेकिन प्रदूषण प्रबंधन के लिहाज से यह अच्छा नहीं है। जैसा कि मैंने अपने स्तंभ में पिछले महीने भी कहा था, प्रदूषण से लड़ने के लिए काफी कुछ किया गया है। इससे प्रदूषण में न केवल स्थिरता आई है बल्कि कमी भी आई है। परंतु अब हमें इन कदमों की तीव्रता बढ़ानी होगी। उदाहरण के लिए फसल जलाना कम करना होगा, स्थानीय स्तर पर कचरा, प्लास्टिक जलाना रोकने के लिए कड़ाई करनी होगी और विनिर्माण तथा सड़क निर्माण आदि में धूल कम उत्पन्न हो तथा फैक्टरियों से प्रदूषण कम हो, ऐसे कदम उठाने होंगे।

परंतु इसका वास्तविक और दीर्घकालिक उत्तर तो यही होगा कि हम कोयले तथा अन्य खराब ईंधनों से अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन की दिशा में बढ़ें। कारों की जगह बेहतर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना होगा। यह व्यवस्था सस्ती और सुलभ होने के साथ-साथ आधुनिक और सुरक्षित भी होनी चाहिए। परंतु इस दिशा में हम कुछ खास प्रगति नहीं कर रहे हैं। हमारी हर सांस विषाक्त है। हमारे बच्चों के अभी विकसित हो रहे फेफड़ों को देखते हुए हालात ऐसे ही नहीं रहने दिए जा सकते। जाहिर है हमें अब व्यापक पैमाने पर पेशकदमी करनी होगी। मैं पूरी दृढ़ता के साथ कहती हूं कि जुनून के साथ जरूरी कदम उठाने से बदलाव अवश्य आएगा।

(लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट से संबद्ध हैं)

कानाफूसी

शाकाहार बनाम मांसाहार

देश में शाकाहारी बनाम मांसाहारी की बहस कहीं न कहीं उभर ही आती है। हाल ही में मध्य प्रदेश में यह बहस एक अलग ही मुकाम पर पहुंचती दिखी जब भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश सरकार के आंगनबाड़ी में अंडा परोसने के निर्णय की आलोचना की। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने तो यहां तक कह डाला कि यदि बच्चों को बचपन से अंडा और मांसाहार परोसा जाएगा तो आगे चलकर वे नरभक्षी हो सकते हैं। इससे नाराज कांग्रेस नेता और लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा कि भाजपा नेता तो हैं ही नरभक्षी। पांसे ने आगे कहा कि भाजपा के नेता अनगिनत घोटालों में फंसे हुए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार प्रोटीन का बढ़िया स्रोत होने के कारण बच्चों को भोजन में अंडे देना चाहती है।

किसकी योजना?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अक्सर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर अपने-अपने दावों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। यादव ने जहां उनके कार्यकाल में शुरू की गई परियोजनाओं को नए सिरे से पेश करने के लिए आदित्यनाथ की आलोचना की, वहीं योगी आदित्यनाथ गर्व से कहते हैं कि उनके कार्यकाल में प्रदेश को लेकर निवेशकों की धारणा में सुधार हुआ है। प्रदेश की भाजपा सरकार अब पिछली यादव सरकार के कार्यकाल में बनी तीन बड़ी परियोजनाओं को मूर्त रूप देने पर विचार कर रही है। इनमें कानपुर-उन्नाव, प्रयागराज और औरैया जिलों में टाउनशिप और प्लास्टिक निर्माण हब बनाना शामिल है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि इन परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की बाधाओं को दूर किया जाए।

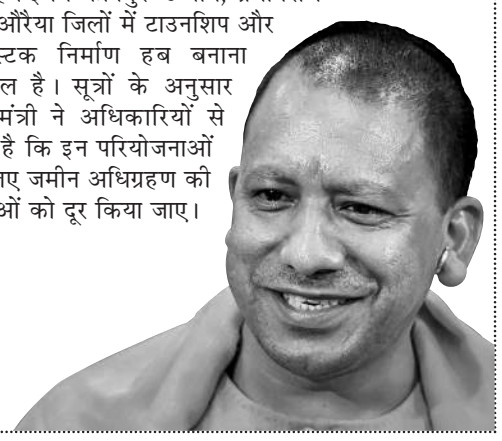

आपका पक्ष

असफल होते सुधारवादी कदम

हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे शायद इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जिस दमखम और इरादे के साथ भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्यों के चुनावी मैदान में उतरी थी, नतीजा उनके उम्मीद के अनुकूल नहीं रहा। हरियाणा में जजपा के साथ सरकार तो बन गई लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना के साथ खींचतान चल रही है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन का वादा किया था। जनता पिछली सरकार की नाकामी से दुखी थी और बदलाव चाहती थी। शायद इसका फायदा मोदी को मिला। लोगों को लगता था कि मोदी का नेतृत्व कुछ करिश्मा करेगा और बुरे दिन खत्म होंगे, लेकिन ऐसा अबतक दिखा नहीं। वर्ष 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद, आर्थिक बदहाली और बेरोजगारी के मुद्दे पर हावी रहा और जनता ने दोबारा मोदी को चुना। अर्थव्यवस्था में ठहराव पिछले कई वर्षों से है और सरकार यह नहीं कह

सकती कि सुधार कार्य के लिए वक्त नहीं मिला। सरकार पूर्ण बहुमत में है। साथ ही कुशल और सक्षम नेतृत्व का दावा भी करती है। फिर भी अधिकतर सुधार असफल क्यों होते गए। नोटबंदी अगर सुधार था तो इसकी उपलब्धि क्या है। क्या हम कैशलेस अर्थव्यवस्था बन सके। नोटबंदी से क्या आतंकवाद का खात्मा हो सका। विदेशों से क्या

सरकार को योजनाओं की समीक्षा कर उसके परिणाम लोगों के सामने लाना चाहिए

काला धन वापस आ पाया। इससे एक बात तो सच है कि नोटबंदी ने छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। वस्तु एवं सेवाकर की सफलता क्या है। इससे व्यापार करना कितना आसान हुआ। मौजूदा आंकड़े वस्तु एवं सेवाकर की सफलता की ओर इशारा को कतई नहीं करते। वित्त मंत्री खुद भी मान चुकी हैं कि इसमें और सुधार की दरकार है। रियल एस्टेट रेग्युलेटरी बिल (रेरा) भी ऐसे समय पर आया जब रियल स्टेट क्षेत्र मंदी से गुजर रहा था। रेरा की सफलता यह है कि अनेक परियोजनाएं बंद हो गईं। खरीदारों के पैसे वापस मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रियायतों का ऐलान हो या बैंकों का महाविलय, इससे किसे कितना फायदा हुआ। सरकार ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, खेलो इंडिया जैसे खूबसूरत नामों से योजनाएं चला रखी हैं। कौन सी योजना कितनी सफल हो सकी इसका लेखा जोखा जनता के बीच जाना चाहिए।

राजीव सिंह, हैदराबाद

पराली से बढ़ सकती है आय और रोजगार

देश में आजादी से ले कर अब तक कृषि सुधारों की उपेक्षा हुई है। इसका एक उदाहरण गौर करने लायक है। पराली का सदुपयोग पहले सोचा ही नहीं गया। किसान इसे बेकार समझ कर खेत खलिहानों में जलाते रहे। पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद कृषि विभाग का ध्यान इस ओर गया है। किसानों को दूसरी फसल बोने के लिए फौरन खेत चाहिए। हाल में करनाल में पराली से खाद बनाने के संयंत्र की नींव रखी गई है। इस संयंत्र के कार्यशील होने में करीब तीन साल लगेंगे। अगर भरपूर सरकारी प्रोत्साहन और प्रशिक्षण मिले तो कंपोस्ट खाद निर्माण के अलावा ग्रामीण रोजगार में इससे काफी बढ़ोतरी हो सकती है। इस कार्य को मनरेगा के तहत लाया जा सकता है। यह अनुसंधान भी होना चाहिए कि पराली जलाने से मृदा की कितनी क्षति होती है और इसे कैसे नियंत्रण किया जा सकता है।

हिम्मत जोशी, नागपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।